न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या–09/2011
जीएसएमएस नं. 2011/00268

श्रीमति अनिता शर्मा धर्मपत्नी श्री नरेश कुमार शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी चक 29 एस.एस.डब्ल्यू, वर्तमान सैक्टर नंबर 12, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

1– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़।
2– भाग सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह (फौत)
2/1– श्रीमति सुमन सोनी धर्मपत्नी विनोद सोनी जाति सोनी, निवासी ज्ञान सिंह कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3– अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय, हनुमानगढ़ जं0, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4– तारा सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह, जाति जटसिख, निवासी फतेहगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंट

1. श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता ––अपीलाण्ट
2. श्री देवदत्त भीडासरा अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट सं. 2
3. श्री धीर सिंह वराड़ अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट सं. 4
4. श्री रविन्द्र कुमार भोविया राजकीय अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट सं. 3

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.11.2010 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़, विविध राजस्व संख्या 125/2010 शीर्षक "भाग सिंह बनाम स्टेट आदि"

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

(2) अपील संख्या–21/2011

भाग सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह (फौत)
श्रीमति सुमन सोनी धर्मपत्नी विनोद सोनी जाति सोनी, निवासी ज्ञान सिंह कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

1– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़।
2– श्रीमति अनिता शर्मा धर्मपत्नी श्री नरेश कुमार शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी चक 29 एस.एस.डब्ल्यू. वर्तमान सैक्टर नंबर 12, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंट

1. श्री देवदत्त भीडासरा अधिवक्ता ––अपीलाण्ट
2. श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट सं. 2
3. श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट सं. 1

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.11.2010 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़, विविध राजस्व संख्या 125/2010 शीर्षक "भाग सिंह बनाम स्टेट आदि"

:: निर्णय :: **दिनांक :** 24.07.23

1. उक्त दोनों अपीले अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा विविध राजस्व संख्या 125/2010 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीले एक ही आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने से व तथ्य समान होने से अपील संख्या 21/2011 शीर्षक "भाग सिंह बनाम स्टेट आदि" को आदेश दिनांक 27.07.2012 से अपील संख्या 9/2011 शीर्षक "अनिता शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान" के साथ समेकित किये जाने के आदेश पारित किये गये।
2. अपीलाण्ट अनिता शर्मा द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 2 भाग सिंह ने जिला जन अभाव अभियोग एवं निराकरण सतर्कता समिति हनुमानगढ़ के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि उसकी खातेदारी भूमि चक 29 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता व खाला दोनों मंजूर है। इस कारण रास्ता का अंकन हटाया जावे व 1 बिस्वा में रास्ता व 1 बिस्वा में खाला स्वीकार किया जावे। यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये जाने पर दर्ज रजिस्टर हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.11.2010 को एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए चक 29 एस.एस.डब्ल्यू. के पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में गैरमुमकिन खाला को निरस्त करते हुये अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि पत्थर नंबर 99/300 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा खाला स्वीकृत करने के आदेश पारित किये है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है तथा अपील में यह तथ्य अंकित किये है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दर्ज प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 2 की मांग पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत रास्ता का अंकन हटाने/यथावत रखने के संबंध में ही थी तथा इसी मांग अनुसार नोटिस जारी किये गये थे। इस नोटिस में यह उल्लेख नहीं था कि पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत खाला के इन्द्राज हटाये जाने हो और कि यह खाला पत्थर नंबर 99/300 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित हो बल्कि इस नोटिस में स्पष्ट रूप से मंजूर शुदा खाला के अंकन को यथावत् रखते हुये रास्ता के अंकन को हटाने का उल्लेख था। इस नोटिस की तामील भी अपीलाण्ट पर नहीं हुई तथा शेष नोटिसों की तामील भी संबंधित काश्तकारों को न होकर रेस्पोडेंट संख्या 2 ने ही यह समस्त नोटिस प्राप्त कर लिये। इस प्रकार नोटिस में अंकित तथ्य के अनुसार यह नोटिस अपीलाण्ट की भूमि में खाला स्वीकृत करने से संबंधित नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प फतेहगढ़ में प्रश्नगत रास्ता की औचित्यता अथवा अनोचित्यता के संबंध में ही निर्णय दिया जाना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अन्तर्वलित रास्ता के बिन्दू को तय करने के साथ साथ पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत रास्ता को खुलवाने के साथ साथ पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत खाला को निरस्त कर अपीलाण्ट की भूमि पत्थर नंबर 99/300 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा खाला को स्वीकार करने के आदेश पारित किये है जो विधि विरूद्ध व अनुचित है। अपीलाण्ट ने यह आधार भी लिया कि सिंचाई विभाग की ऐसी कोई अभिशंषा नहीं थी कि पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत खाला को निरस्त कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

इस खाला को पत्थर नंबर 99/300 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत किया जावे बल्कि मात्र यह अभिशंषा थी कि पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत खाला मौका पर यदि पत्थर नंबर 99/300 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में चल रहा है तो उसे सही पैमाईश कर दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय को मौका पर गलत रूप से चल रहे खाला को स्वीकृत गैरमुमकिन खाला की भूमि पर चालू करने के आदेश दिये जाने चाहिये थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने खाला को सही स्थान पर कायम करने की बजाय गलत रूप से चल रहे खाला को अपीलाण्ट की कृषि भूमि पत्थर नंबर 99/300 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत करने के विधि विरूद्ध आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में याचित अनुतोष से बढकर रेस्पोडेंट संख्या 2 को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये उसकी भूमि मे विधिक रूप से स्वीकृत गैरमुमकिन खाला को निरस्त कर यह खाला अपीलाण्ट की भूमि में स्वीकृत कर मनमाना आदेश पारित किया है। राजस्व अभिलेख में कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दुरूस्ती अभिलेख की आड़ में अपीलाण्ट की भूमि में नया खाला स्वीकार किया है जो अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। अपीलाण्ट की कृषि भूमि पत्थर नंबर 99/300 की 25 बीघा भूमि में किला नंबर 1 से 5 में 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता व किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन खाला पहले से ही स्वीकृत व चालू है तथा उसकी 1 बीघा भूमि पहले से ही खाला व रास्ता में आ चुकी है तथा अपीलाधीन आदेश से उसकी भूमि के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा खाला ओर स्वीकृत हो जाने से उसे भारी असुविधा होगी। अपीलाण्ट ने अपीलाधीन आदेश को धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम की परिधि में नहीं होकर राजस्थान उप निवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) के अधीन पारित किये जाने व इस शर्त के अधीन अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं होने व खण्डीय सिंचाई अधिकारी की सिफारिश के बिना राजस्व अभिलेख में गैरमुमकिन खाला स्वीकृत करने का अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार न होने की विधिक आपत्ति उठाई। अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि उसके द्वारा उसकी भूमि के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में अवैध रूप से चल रहे खाला को हटाये जाने व स्वीकृत जलमार्ग पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 पर यह खाला बनाये जाने का निवेदन जिला कलैक्टर महोदय हनुमानगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दिनांक 05.10.2010 प्रस्तुत कर निवेदन किया हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में यह प्रार्थना पत्र मौजूद था लेकिन इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु ना तो नोटिस दिया व ना ही सुनवाई का मौका दिया। अपीलाण्ट ने आधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 24.01.2011 को सर्वप्रथम होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ यह अपील प्रस्तुत की है। यह अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा दिनांक 27.01.2011 को अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विती को स्थगित करते हुए राजस्व अभिलेख व मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये।

3. इसी प्रकार अपीलाण्ट भाग सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने जन अभाव अभियोग एवं निराकरण सतर्कता समिति हनुमानगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसकी खातेदारी कृषि भूमि चक 29 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता व खाला दोनो मंजूर है। इस कारण रास्ता का अकन हटाया जावे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में उक्त पत्रावली में दिनांक 16.11.2010 को अपीलाधीन आदेश पारित कर पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत रास्ता को खुलवाये जाने के आदेश पारित किये है। इस आदेश को चुनौती देते हुये अपीलाण्ट ने यह आधार लिये है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौका पर जाकर रास्ते के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की व ना ही इस रास्ता के संबंध में मौका का निरीक्षण किया, जबकि अपीलाण्ट की कृषि भूमि में यह रास्ता कभी भी चालू नहीं था व इसी कारण अपीलाण्ट ने इस रास्ता को निरस्त किये जाने की मांग की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपील संख्या 9/2011 शीर्षक "अनिता शर्मा बनाम राजस्थान राज्य आदि" में प्राप्त सम्मन से होने पर यह अपील दिनांक 17.02.2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की है। यह अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा दिनांक 17.02.2011 को इस आशय का स्थगन जारी किया गया कि अपील संख्या 9/2011 में दिनांक 27.01.2011 को जो स्थगन आदेश जारी किया गया है उसकी पालना उभय पक्ष करे। उक्त स्थगन आदेश प्रभावी रहा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. दोनों ही अपीलों में भाग सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह का देहान्त होने व उसकी निःसंतान मृत्यु होने व उसकी वसीयत के आधार पर सुखदीप सिंह, रणदीप सिंह पुत्रगण दर्शन सिंह के पक्ष में इंतकाल दर्ज होने व उनके द्वारा यह भूमि श्रीमति सुमन सोनी धर्मपत्पी विनोद सोनी को विक्रय कर दिये जाने व उक्त क्रेता के पक्ष में इंतकाल दर्ज हो जाने से भाग सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह के स्थान पर श्रीमति सुमन सोनी धर्मपत्नी श्री विनोद सोनी को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये। अपील संख्या 9/2011 में अपीलाण्ट ने दिनांक 17.08.2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सपठित धारा 144 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के प्रभावशील रहते अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ ने दिनांक 21.10.2017 को इंतकाल संख्या 419 स्वीकृत कर अपीलाण्ट की कृषि भूमि चक 29 एस.एस.डब्ल्यू. के पत्थर नंबर 99/300 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में 2-2 बिस्वा गैरमुमकिन खाला दर्ज किया है जो गलत व विधि विरूद्ध है तथा दौराने अपील दर्ज उक्त इंतकाल को निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने इस प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत करते हुए आपत्ति की कि अपीलाण्ट को इंतकाल संख्या 419 से कोई आपत्ति है तो उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिए तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2010 के विरूद्ध अपील लम्बित होने के कारण अपील के निर्णय से पूर्व रिकार्ड की पूर्व स्थिति बहाल नहीं की जा सकती। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अनिर्णित रहा।

5. रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत करते हुए पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में भूप्रबंध से पूर्व खाला राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने तथा भूप्रबंध विभाग द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के इस खाला की प्रविष्टि किये जाने के तथ्य के संबंध में पर्चा खतौनी व भूप्रबंध विभाग की खतौनी अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया। अपीलाण्ट ने इस प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत करते हुए यह खाला सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत किये जाने के तथ्य प्रकट किये तथा सिंचाई विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्यायहित में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. बहस के प्रक्रम पर अपील संख्या 9/2011 के रेस्पोडेंट सुमन सोनी ने दिनांक 23.06.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया गया है तथा इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कारण इस आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त को होने से यह अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ने इस प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पारित न होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नये खाला को शर्त संख्या 8 (1) राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वीकृत किया है तथा ऐसे आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में विधिसम्मत रूप से प्रस्तुत किये जाने का कथन करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

7. दोनों ही अपीलों में विचारणीय बिन्दू एक समान होने से व एक ही आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने से यह अपीले समेकित की गई।

8. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट श्रीमति सुमन सोनी ने यह तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह प्रकरण धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुआ है तथा अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की दुरूस्ती की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से यह आदेश पारित कर स्वीकृत शुदा खाला को निरस्त कर अपीलाण्ट की भूमि में खाला स्वीकृत किया है तथा इस आदेश के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 (एफ) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक (भू0अ0) के समक्ष अपील की जा सकती है तथा इस प्रकार यह अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में न्यायदृष्टान्त आर.आर.टी. 2014–15 (स्पली) पृष्ठ 704 व आर.आर.टी. 2002 (1) पृष्ठ 357 प्रस्तुत किये। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय के फर्द अहकाम पर धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का अंकन कर दिये जाने से अपीलाधीन आदेश धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की परिधि में नही माना जा सकता। राजस्व अभिलेख में व सिंचाई अभिलेख में अपीलाण्ट की कृषि भूमि पत्थर नंबर 99/300 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में पूर्व में कभी भी खाला स्वीकृत नहीं रहा है। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत किसी लिपिकीय भूल को ही दुरूस्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करते हुये राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि पत्थर नंबर 99/300 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में नया खाला स्वीकृत

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया है जो शर्त संख्या 8 (1) राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शंक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया है जबकि शर्त संख्या 8(1) के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय को जिला कलैक्टर की शक्तियां प्रदत्त ही नहीं है। अपीलाण्ट ने सामान्य उपनिवेश शर्ते 1955 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय में विधि के प्रावधानों के अनुसार अपील प्रस्तुत की है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है। अपने उक्त तर्को के समर्थन में न्याय दृष्टान्त आर.आर. टी. 2004 (1) पृष्ठ 343, आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ 504, आर.आर.डी. 1990 पृष्ठ 460 व डी.एन.जे. 2016 (3) राजस्थान पृष्ठ 1009 प्रस्तुत किये। क्षेत्राधिकारिता के संबंध में उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट भाग सिंह की ओर से जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें उसने चक 29 एस.एस.डब्ल्यू. के पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता व 2–2 बिस्वा खाला दर्ज होने का कथन कर रास्ता मौका पर चालू नहीं होने के कारण रास्ता का अंकन हटाये जाने का निवेदन किया है। इस प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख नहीं है कि कथित खाला पूर्व में पत्थर नंबर 99/300 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत हो और कि बाद में पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में दर्ज हो गया हो। अधीनस्थ न्यायालय ने यह प्रकरण जिला जन अभाव अभियोग एवं निराकरण सतर्कता समिति हनुमानगढ की बैठक दिनांक 24.09.2010 में जिला कलैक्टर हनुमानगढ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सिर्फ किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता से संबंधित रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने हेतु दर्ज रजिस्टर किया है। इस पत्रावली में ऐसी कोई मांग नहीं की गई है कि पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत गैरमुमकिन खाला गलत दर्ज हो और कि यह खाला पत्थर नंबर 99/300 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत किया जाना अपेक्षित हो। इस प्रकरण में स्वयं भाग सिंह के दिनांक 27.10.2010 को बयान लेखबद्ध हुये है। इन बयानों में भी उसने अपनी कृषि भूमि पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में 2 बिस्वा रास्ता व 2 बिस्वा खाला के स्थान पर 1 बिस्वा रास्ता व 1 बिस्वा खाला को मंजूर किये जाने पर सहमति दी है। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भी यह खाला पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में ही स्वीकृत होने की रिपोर्ट आई है तथा

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया है जो शर्त संख्या 8 (1) राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शंक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया है जबकि शर्त संख्या 8(1) के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय को जिला कलैक्टर की शक्तियां प्रदत्त ही नहीं है। अपीलाण्ट ने सामान्य उपनिवेश शर्ते 1955 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय में विधि के प्रावधानों के अनुसार अपील प्रस्तुत की है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है। अपने उक्त तर्को के समर्थन में न्याय दृष्टान्त आर.आर. टी. 2004 (1) पृष्ठ 343, आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ 504, आर.आर.डी. 1990 पृष्ठ 460 व डी.एन.जे. 2016 (3) राजस्थान पृष्ठ 1009 प्रस्तुत किये।

10. क्षेत्राधिकारिता के संबंध में उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट भाग सिंह की ओर से जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें उसने चक 29 एस.एस.डब्ल्यू. के पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता व 2–2 बिस्वा खाला दर्ज होने का कथन कर रास्ता मौका पर चालू नहीं होने के कारण रास्ता का अंकन हटाये जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत प्रार्थी भाग सिंह की रास्ता निरस्ती की मांग को निरस्त कर इस स्वीकृत रास्ता को खुलवाने के आदेश देने के साथ साथ अपीलाण्ट की कृषि भूमि पत्थर नंबर 99/300 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में खाला स्वीकृत करने के आदेश दिये है जो किसी भी प्रकार से धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दुरूस्ती रिकार्ड की परिधि में नहीं आकर एक नया जलमार्ग स्वीकृत करने से संबंधित है तथा यह आदेश धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नहीं माना जाकर शर्त संख्या 8(1) राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 के अन्तर्गत आता है तथा इस प्रकार अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की होना पाई जाती है व रेस्पोडेंट संख्या 1 की यह आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

12. जहां तक गुणावगुणों का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट भाग सिंह द्वारा की गई मांग कि पत्थर नंबर 99/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता व 2–2 बिस्वा खाला के स्थान पर 1–1 बिस्वा रास्ता व 1–1 बिस्वा खाला स्वीकार किया जावे, पर ही निर्णय पारित किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय ने शर्त संख्या 8(1) के अन्तर्गत नया जलमार्ग स्वीकृत करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की अधिकारिता जिला कलैक्टर को ही होने के बावजूद इन शंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाण्ट की कृषि भूमि में प्रश्नगत खाला स्वीकृत किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह भी प्रकट है कि सिंचाई विभाग ने भी पत्थर नंबर 99/300 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में अपने सिंचाई अभिलेख में खाला स्वीकृत होने की रिपोर्ट नहीं की है व ना ही उक्त किलो में रास्ता स्वीकृत करने की अभिशंषा की है। न्यायदृष्टान्त डीएनजे 2016 (3) राजस्थान पृष्ठ 1009 में प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार भी नया खाला स्वीकृत करने की अधिकारिता जिला कलैक्टर को होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकारिता पूर्ण नहीं है तथा अपीलाण्ट अनिता शर्मा द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 9/2011 स्वीकार किये जाने योग्य है।

13. जहां तक अपील संख्या 21/2011 का प्रश्न है। अपीलाण्ट भाग सिंह को राजस्व अभिलेख में उपनिवेशन विभाग द्वारा स्वीकृत रास्ता को निरस्त करवाने एवं सकरा करवाने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मंजूर शुदा रास्ता को मौका पर खुलवाये जाने के आदेश विधिसम्मत रूप से पारित किये है जिसमें हस्तक्षेप के कोई आधार नहीं है। इस प्रकार अपीलाण्ट भाग सिंह मृतक एवं सुमन सोनी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 21/2011 निरस्त किये जाने योग्य है।

14. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार अपील संख्या 9/2011 शीर्षक "अनिता शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदि" स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 16.11.2010 जिसके अन्तर्गत अपीलाण्ट की कृषि भूमि चक 29 एस.एस.डब्ल्यू. के पत्थर नंबर 99/300 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में खाला स्वीकृत किये जाने व पत्थर नंबर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत खाला को निरस्त किये जाने की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा अपील संख्या 21/2011 शीर्षक "सुमन सोनी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदि" खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में रखी जाकर निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.7.23 को लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

24.7.23

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़